प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 34/2025)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने "घरेलू लीज्ड सर्किट (डीएलसी) के लिए टैरिफ की समीक्षा" पर पूर्व-परामर्श पत्र जारी किया।

नई दिल्ली, 29 अप्रैल 2025 — भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज "घरेलू लीज्ड सर्किट (डीएलसी) के लिए टैरिफ की समीक्षा" पर एक पूर्व-परामर्श पत्र जारी किया है जिसमें हितधारकों (स्टेक होल्डर्स) से इनपुट मांगे गए हैं।

2. इस समीक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए प्राधिकरण घरेलू लीज्ड सर्किटों की मौजूदा अधिकतम टैरिफ से संबंधित प्रासंगिक मुद्दों, चिंताओं और सुझावों को प्रस्तुत करने के लिए पूर्व-परामर्श प्रक्रिया में भाग लेने हेतु सभी हितधारकों को आमंत्रित करता है।

3. हितधारकों से पूर्व-परामर्श पत्र पर लिखित टिप्पणियां 19 मई 2025 तक आमंत्रित की जाती हैं। हितधारकों से प्राप्त इनपुट/टिप्पणियों का विश्लेषण किया जाएगा और प्राधिकरण द्वारा डीएलसी टैरिफ की समीक्षा की आवश्यकता का आंकलन करने के लिए उन पर विचार किया जाएगा।

4. टिप्पणियाँ, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में advfea2@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए श्री विजय कुमार, सलाहकार (वित्तीय और आर्थिक विश्लेषण), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91-11-20907773 पर संपर्क किया जा सकता है।

अतुल चौधरी 29/4/25

(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, भादूविप्रा